कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

E-mail ID: nhmbalodabazaar@gmail.com **Tel.phone No. -07727-223550**

क्रमांक / डी.एम.एफ / एच.आर. / NS- 2202 / 2023–24 / 4157 बलौदाबाजार, दिनांक 01/06/2023

/ / विज्ञापन / /

कार्यालय जिला खनिज संसाधन न्यास, बलौदाबाजार भाटापारा छ.ग. की प्रशासकीय स्वीकृति आदेश क्र. 220126927073 बलौदाबाजार भाटापारा दिनांक 02.09.2022 के तहत् जिला अस्पताल बलौदाबाजार हेतु स्टॉफ नर्स के पद की पूर्ति हेतु जिला खनिज न्यास निधि मद अंतर्गत रिक्त पदों पर अस्थायी नियुक्ति करने हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

अतः निम्नानुसार रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु समस्त अर्हताधारी इच्छुक छत्तीसगढ़ मूल निवासी अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) में दिनांक 01/06/2023 से 16/06/2023 समय शायं 05:00 बजे तक केवल पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम् से आमंत्रित किये जाते है।

रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्रं	पदनाम	कार्यक्रम	रिक्त पद	वेतनमान	योग्यता	अनारक्षित	अ.पि.व.	अनु.जाति	अनु. जनजाति
01	Staff Nurse	DMF	12	16,500/	BSC. Nursing OR GNM Course Passed & Live Registration in Chhattisgarh Nursing Registration council.	06	03	02	01

टीप :– 1. यह विज्ञापन जिला खनिज न्यास निधि मद में स्वीकृति अनुसार निम्न शर्तों के तहत् प्रकाशित किया जा रहा है।

2. उक्त विज्ञापित पदों पर नियुक्ति से संबंधित जानकारियाँ जिले के वेबसाईट www:balodabazar.gov.in में प्रकाशित की जावेगी तथा इसके संबंध में पृथक से पत्र के माध्यम् से कोई सूचना नहीं दी जावेगी। अतः समयानुसार वेबसाईट का निरंतर अवलोकन करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थियों की होगी।
3. विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। ई–मेल से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
4. सभी नियुक्तियां एवं चयन प्रकिया माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्र. 19668 / 2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होंगी।

नियुक्ति हेतु नियम व शर्तें एवं चयन प्रक्रिया

1. **आवेदन का तरीका** – आवेदन निर्धारित प्रारूप में केवल रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट से ही स्वीकार किये जावेंगे। व्यक्तिगत अथवा अन्य माध्यमों से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. **आवेदन करने की अवधि** :– आवेदन निर्धारित प्रारूप में दिनांक 01/06/2023 से 16/06/2023 समय 05:00 बजे तक ही स्वीकार किये जावेंगे। आवेदन की अंतिम अवधि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
3. **मूल प्रमाण पत्र का सत्यापन** – अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में दिये गये समस्त प्रविष्टियां मूल दस्तावेज अनुसार सही होना चाहिए। अंतिम चयन के पूर्व या पश्चात् दस्तावेज जाँच में पाया जाता है कि आवेदन में अंकित जानकारी त्रुटिपूर्ण या अधूरी है तो उन्हें आगामी अंतिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया जावेगा। चयन के पूर्व / पश्चात् किसी भी समय किसी भी पक्ष की ओर से जानकारी त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उनका चयन निरस्त किया जायेगा।
4. **आवेदनों का परीक्षण** –प्राप्त सभी आवेदनों को विज्ञापन में निहित आवश्यक शर्तो एवं विज्ञापन में चाही गई दस्तावेज पूर्ण होने के आधार पर उम्मीदवारों की पात्र / अपात्र की सूची तैयार की जावेगी। जिसे जिले के वेबसाइट पर निर्धारित समय के लिए दावा–आपत्ति हेतु प्रकाशित किया जावेगा।
5. **पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी करना**– प्राप्त आवेदनों में से रिक्तियों के आधार पर निम्न तालिका अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन तथा चयन हेतु आहुत किया जावेगा।

क.	कुल विज्ञापित पदों की संख्या	दस्तावेज सत्यापन तथा चयन लिये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या
1	01 से 10	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना
2	11 से 50	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 5 गुना
3	50 से अधिक	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 3 गुना

6. दावा–आपत्ति – दावा आपत्ति हेतु अभ्यार्थियों को एक निश्चित समय दिया जावेगा, आवेदन में त्रुटियों की स्थिति में जिला स्तर पर चयन समिति इन दावा आपत्ति का निराकरण कर निर्णय लेगी तत्पश्चात् दावा आपत्ति एवं पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी किया जावेगा। दावा आपत्ति की तिथि के समाप्ति उपरांत किसी भी दावा/आपत्ति को स्वीकार/मान्य नहीं किया जायेगा।

7. आयु सीमा – अस्थायी भर्ती के लिए चिकित्सकीय पदों हेतु नियमानुसार आयु दिनांक 01.01.2023 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष से अधिक नही होना चाहिए। शासकीय एवं अर्धशासकीय सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को शासन के नियमानुसार छूट की पात्रता होगी। (आयु की पुष्टि मूल अभिलेखों से परीक्षण के दौरान 10+2 की मार्कशीट के अनुसार की जावेगी)।

8. पात्रता की शर्ते –

I. आवेदन पत्र जिले के वेबसाइट से डाउनलोड करने के उपरांत आवश्यक प्रविष्टियां स्पष्ट अक्षरों में आवेदक द्वारा स्वयं पूर्ति कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

II. आवेदक को चाहिए कि विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में दिए गये सभी खानों को भली प्रकार से देख कर एवं सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि अथवा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र को चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा। गलत जाति प्रमाण–पत्र देने या आवेदन पत्र में जाति संबंधित गलत जानकारी भरने या अन्य त्रुटि होने पर भी चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त किया जा सकेगा। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

III. आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों को अच्छी तरह से नस्तीबद्ध कर पृष्ठ क्रमांक अंकित करें। *आवेदन पत्र इस प्रकार निर्धारित क्रम में ही व्यवस्थित करें(1) आवेदन पत्र (2) ऑनलाइन जमा किये गये चालान की प्रति (3) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र (4) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (5) रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र (6) शैक्षणिक योग्यता के समस्त वर्षों की अंकसूची (7) अनुभव प्रमाण पत्र (8) संबंधित डिग्री तथा काउंसील का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र (9) अन्य प्रमाण पत्र* । समस्त दस्तावेज की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न करें। उपरोक्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदन निरस्त करने का अधिकार चयन समिति का होगा।

IV. अस्थायी जाति प्रमाण–पत्र संलग्न किये जाने की स्थिति में चयन होने उपरांत स्थायी जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा चयनित पद हेतु अपात्र माना जावेगा।

V. अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो राजपत्रित अधिकारी/स्वयं के द्वारा सत्यापित कर चिपकायें।

VI. आवेदकों को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। पुष्टि में निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए।

VII. शैक्षणिक योग्यता जिस संस्थान से है उस संस्थान को यूजीसी, एआईसीटीई एवं संबंधित काउंसील से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है।

VIII. समस्त पदों हेतु निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नियमित कोर्स होने पर ही मान्य किया जावेगा, किसी भी परिस्थिति में अनियमित/Distance शैक्षणिक योग्यता को मान्य नहीं किया जावेगा।

IX. आवेदक को जिला रोजगार कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि तक जीवित पंजीयन प्रमाण–पत्र अनिवार्य होगा। जीवित पंजीयन नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदन अमान्य किया जावेगा। जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

X. जन्म तिथि के निर्धारण हेतु 10+2 की अंकसूची ही मान्य होगी।

XI. आवेदन भरने की तिथि तक आवेदक के समस्त आवश्यक प्रमाण–पत्र जीवित (वैध) होना आवश्यक है। आवेदक को चाहिए कि आवेदन भरते समय आवश्यक सावधानी बरते अन्यथा बाद में आवेदक के द्वारा जन्म तिथि, वर्ग, विषय आदि में संशोधन मान्य नहीं होंगे।

XII. आवेदक द्वारा गलत जानकारी प्रस्तुत करने की स्थिति में चयन प्रकिया के किसी भी स्तर पर अथवा चयन के पश्चात् किसी भी समय उसकी सेवा निरस्त की जा सकती है।

XIII. **लिफाफे के उपर टॉप में अपना नाम, आरक्षण का वर्ग एवं पद का नाम स्पष्ट रूप से लिखें।**

9. **अनुभव एवं नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र –**

I. अनुभव प्रमाण पत्र केवल शासकीय/अर्द्धशासकीय (केन्द्रीय अथवा छ.ग. शासन का उपक्रम) संस्था/उपक्रम/निगम मंडल का ही मान्य होगा। आवेदक को अनुभव प्रमाण पत्र के साथ कार्यालय का नियुक्ति आदेश पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, कार्यालय का आदेश पत्र नही होने की स्थिति में अनुभव को अमान्य किया जावेगा।

II. अनुभव प्रमाण पत्र (अंको की गणना हेतु) विज्ञापित पदों पर पद से संबंधित कार्य अनुभव हेतु केवल शासकीय/अर्द्धशासकीय (केन्द्रीय अथवा छ.ग. शासन का उपक्रम) संस्था/उपक्रम/निगम मंडल का अनुभव ही मान्य होगा तथा निःशुल्क सेवा अथवा शासकीय निधि से भुगतान नहीं किये गये पदों के अनुभव मान्य नही किये जाऐंगे। शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग के प्रति वर्ष का अनुभव हेतु 02 अंक एवं अधिकतम 05 वर्ष हेतु 10 अंक प्रदान किया जावेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को पद से संबंधित कार्य अनुभव हेतु प्रति वर्ष अनुभव 03 अंक एवं अधिकतम 05 वर्ष हेतु 15 अंक प्रदान किया जावेगा। 01 वर्ष से कम के अनुभव की गणना नहीं किया जावेगा।

III. शासकीय/अर्द्धशासकीय (केन्द्र व छ.ग. शासन का उपक्रम) संस्था/उपक्रम/निगम मंडल में कार्यरत आवेदक को नियुक्त प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसमें आवेदित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख किया जाना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन अपात्र किया जावेगा।

IV. छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्र. एफ 1–67/2021/सत्रह/एक नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 03.02.2023 के तहत् कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छ.ग. राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं एक वर्ष में 06 माह तक कार्य अनुभव/सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को 06 माह का कार्य अनुभव रखने पर अनुभव के अधिकतम 10 बोनस अंक का लाभ दिया जावेगा। जिस हेतु नियुक्ति आदेश तथा नियुक्ताकर्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र की मूल प्रति लाना अनिवार्य होगा।

V. स्टॉफ नर्स के पद हेतु जी.एन.एम./नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिन आवेदकों को 01 वर्ष का 04 अंक देते हुए अधिकतम 20 अंक प्रदान किया जावेगा।

10. **चयन प्रकिया –**

I. **पदवार चयन प्रकिया का विवरण** –विज्ञापित पदों पर चयन निम्नानुसार विभिन्न शैक्षणिक योग्यता के कुल प्राप्तांकों के प्रतिशत के मेरिट के आधार पर होगा :–

क्र.	पद का नाम	चयन का आधार		
		शैक्षणिक योग्यता तथा तकनीकि शिक्षा का कुल 85 प्रतिशत	अधिकतम अनुभव का अंक	कोविड का बोनस अंक
1	Staff Nurse	शैक्षणिक योग्यता (बीएससी/पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग/जीएनएम) के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 85 प्रतिशत अंक	अनुभव का 10 अंक/15 अंक/20 अंक	अनुभव का 10 बोनस अंक

II. उपरोक्तनुसार निर्धारित चयन प्रकिया में किसी एक पद हेतु एक से अधिक अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में उन अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर आपसी वरीयता तय की जावेगी तथा अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति दी जावेगी।

III. चयनित उम्मीद्वार को चयन उपरांत आवेदन में संलग्न किये गये सभी स्वप्रमाणित/अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा वह आवेदित/चयनित पद हेतु अयोग्य माना जावेगा।

IV. उक्त नियुक्ति का चयन जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जावेगा।

V. सभी नियुक्तियाँ अस्थायी आधार पर वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2024 तक के लिये होगी तथा पूर्णतः अस्थायी एवं अस्थानांतरणीय है।

VI. विज्ञापित पदों हेतु नियमित/संविदा भर्ती के संबंध में सामान्य प्रशासन/वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त होते ही तत्काल सूचित कर डीएमएफ मद पर रखे गये स्टॉफ नर्स पदों की सेवा समाप्त कर नियमित/संविदा भर्ती की कार्यवाही की जावेगी। डीएमएफ मद पर रखे गये स्टॉफ नर्सों द्वारा सेवा समाप्ति के संबंध में कोई दावा एवं आपत्ति नहीं किया जावेगा, नियमितिकरण की मांग तथा सेवा समाप्त न किये जाने हेतु कोई मांग नहीं की जावेगी न ही किसी धरना प्रदर्शन इत्यादि में सम्मिलित होंगे, तथा इस बाबत् कार्यभार ग्रहण करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

VII. अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर में उपस्थित होने के लिये किसी भी तरह का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

VIII. अभ्यर्थियों को चयन प्रकिया के दौरान बुलाने का तात्पर्य यह नहीं होगा कि उनका चयन हो गया है।

IX. नियुक्ति के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश जिले के वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है। इस हेतु आवेदक को किसी भी प्रकार की पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।

X. आवेदित पद पर चयनित होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नही होगा। अंतिम रुप से नियुक्त रिक्त पदों की वास्तविक उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक प्रक्रिया/मापदण्डों पर निर्भर करेगी।

XI. ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवायें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन/शासकीय/अर्धशासकीय विभाग/शासन द्वारा वित्त पोषण संस्था द्वारा अनुशासनहीनता/वित्तीय अनियमितता/अनुचित व्यवहार के कारण से समाप्त की गई है, उन्हे अपात्र उम्मीदवार की श्रेणी में रखा जावेगा।

XII. चयनित उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन/चयन उपरांत/कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूलप्रतियाँ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

XIII. चयन प्रकिया के किसी भी स्तर पर आवेदन प्रपत्र में भरी गई जानकारी तथा मूल दस्तावेजों में विभिन्नता पाए जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

XIV. दस्तावेज सत्यापन एवं स्कूटनी के समय संबंधित व्यक्ति अथवा प्राधिकृत व्यक्ति यदि काउंसलिंग के समय उपस्थित नहीं है तो कार्य के प्रति रूची नहीं मानते हुए उस अभ्यर्थी का चयन निरस्त किया जावेगा।

11. आवेदक हेतु अन्य दिशा–निर्देश :–

I. विज्ञापित अस्थायी पदों की संख्या परिवर्तनीय है, प्रशासकीय कारणों से अधिसूचित रिक्तियों में पदों की संख्या घटायी व बढ़ाई जा सकती है या निरस्त भी किया जा सकता है।

II. भर्ती प्रकिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या का निराकरण करनें एवं अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, जिला बलौदाबाजार का होगा।

III. जिला में प्रचलित रोस्टर पद्धति के अनुसार आरक्षण का प्रावधान लागू किया जावेगा।

IV. चयन उपरांत सभी चयनित उम्मीदवारों को बॉण्ड भरना होगा कि वह अन्य जगहों पर आवेदन करने के लिए संबंधित अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेंगे।

V. विज्ञापित पद के शैक्षणिक योग्यता के प्रतिशत का अंक एवं अनुभव के अंकों को जोड़कर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी, जिससे रिक्त पदों के अनुपात में कंडिका क. 05 के अनुसार उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिये आमंत्रित किया जावेगा।

VI. विज्ञापित पदों हेतु जारी प्रतिक्षा सूची की वैद्यता सूची प्रकाशन की तिथि से आगामी 01 वर्ष या अगली भर्ती के विज्ञापन जारी होने तक के लिये वैध रहेगी, इस दौरान पद रिक्तता की स्थिति में उक्त प्रतीक्षा सूची से पदपूर्ति की जा सकेगी।

VII. चयन प्रकिया के किसी भी चरण में पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा किसी तरह का दबाव डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रकिया को प्रभावित किया जा रहा है, तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई दावा मान्य नहीं किया जावेगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)